



पत्र संख्या-प0नि0 30-31/2015 1799

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
अररिया।

पटना, दिनांक-10.04.24

विषय :- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 379 दिनांक 21.02.2024 एवं पत्रांक 486 दिनांक 15.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :-

1. प्रखंड जोकीहाट के उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी दो सदस्यों (समिति प्रतिवेदन संख्या 8 एवं 23) का तामिला संलग्न नहीं है।
2. प्रखंड जोकीहाट ग्राम पंचायत नंदनपुर के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में अध्यक्ष पूर्ण रूप से संलग्न नहीं है एवं 3 सदस्यों का तामिला संलग्न नहीं है।
3. प्रखंड जोकीहाट ग्राम पंचायत तारण के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं है तथा बैठक की सूचना नियमानुसार नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी।

10.4.24